

11/1/24

पतावली पेश हुई। प्रकरण में पतावली के अक्लौमल से पाया कि वादी द्वारा डाव्पिंग पत्र पेश कर प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। वादी द्वारा पहचान स्वरूप आधार कार्ड भी जति पेश की। अतः वादी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं चाहने से वाद को इसी स्तर पर छोड़ दिया जाता है। पतावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

दिनांक सुनाया गया।

